लाडली लक्ष्मी योजना का नवीन स्वरूप

क्रमांक	विवरण	पूर्व प्रक्रिया	नवीन प्रक्रिया
1.	आवेदन प्रक्रिया	आंगनवाडी केन्द्र/ लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जाता है।	आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
2.	आवेदन की स्वीकृति	प्राप्ति रसीद प्रदाय की जाती थी। जो परियोजना अधिकारी द्वारा 30 कार्यदिवस में प्रदाय की जानी थी।	प्रकरण स्वीकृति हेतु अपलोडेड दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराने के उपरांत प्रकरण तुरंत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत।
3	प्रमाण–पत्र	रू 6–6 हजार की 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष एन एस सी प्रदाय की जाती थी।	प्रकरण स्वीकृति उपरांत रूपये 1,18,000/– का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
4	राशि के भुगतान की प्रक्रिया	संचायिका के माध्यम से की जाना प्रस्तावित थी।	ई पेमेंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में।

5	**अंतरिम राशि**	कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर –रूपये 2000/–, 9वीं में प्रवेश पर –रूपये 4000/–, 11वीं में प्रवेश पर रूपये 7500/– कक्षा 11वीं व 12वीं में रू. 200/– प्रतिमाह प्राप्त होती है।	कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर –रूपये 2000/–, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर –रूपये 4000/–, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर –रूपये 6000/– कक्षा 12वीं में प्रवेश पर –रूपये 6000/–
6	**अंतिम भुगतान**	लगभग रूपये 1 लाख, बालिका का विवाह 18 व र्ा की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की र्ात पर प्राप्त होंगें। उक्त राशि बालिका 18 व र्ा की आयु उपरांत भी प्राप्त कर सकती है, किंतु तत्समय तक परिपक्व राशि ही उसे प्राप्त होगी।	बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई–पेमेंट के माध्यम से
7	**भुगतान हेतु निवेश**	पोस्ट आफिस में	मध्यप्रदेश शासन द्वारा ''मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि'' का गठन

प्रश्नावली

प्रश्नः— लाडली लक्ष्मी योजना के लिये कौन पात्र हैं ?

उत्तरः— पात्रता—

1. हितग्राही के माता पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिये।
2. माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
3. यदि हितग्राही परिवार की द्वितीय संतान है तो परिवान को आवेदन पूर्व परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। किंतु यदि प्रथम संतान है तो उसे परिवार नियोजन की शर्त के बिना योजना का लाभ दिया जा सकता है किंतु द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन बालिका के जन्म के एक वर्ष के पूर्व कियाज जाना होगा व आवेदन पूर्व बालिका का पंजीयन निकटस्थ आंगनवाडी केन्द्र में कराया जाना होगा साथ ही आंगनवाडी में उपस्थिति नियमित होना चाहिये।

प्रश्नः— लाभ लेने के लिये क्या किया जाना होगा ?

उत्तरः— आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफ में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के 15 कार्यदिवस में समस्त अभिलेख परियोजना अधिकारी/विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी से वेरिफाईड कराने होगें।

प्रश्नः— आवेदन हेतु कौन—कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगें?

उत्तरः— निम्न दस्तावेज अपलोड किये जाने होंगेः—

1. माता पिता के साथ बालिका का फोटो.
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र.
3. बालिका का जन्म प्रमाणपत्र.
4. परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र। (द्वितीय बालिका की स्थिति में)

5. आंगनवाडी केन्द्र में बालिका का पंजीयन क्रमांक व बालिका के टीकाकरण की जानकारी उल्लेखित करनी होगी।

प्रश्नः– यदि प्रथम प्रसव पर दो या तीन बालिकाऐं जुडवा होती हैं तो क्या समस्त बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तरः– जी हां । समस्त बालिकाऐं योजना के लिये पात्र हैं।

प्रश्नः– यदि द्वितीय प्रसव पर दो या तीन बालिकाऐं जुडवा होती हैं तो क्या समस्त बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तरः– जी हां । समस्त बालिकाऐं योजना के लिये पात्र हैं। किंतु लाभ लेने के पूर्व परिवार को परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।

प्रश्नः– यदि किन्हीं विशेष कारणों से बालिका के जन्म के 1 वर्ष में आवेदन नहीं किया जा सका तो क्या योजना का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तरः– ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 01 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 01 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म से 02 वर्ष के अंदर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेंगें। अपील में देर से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट किया जावेगा। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर अपील मान्य या अमान्य कर सकेंगें।

प्रश्नः– क्या महिला कैदियों से जन्मी बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तरः– हां जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

प्रश्नः– गोद ली गई बालिका को कब तक योजना का लाभ दिया जा सकता है?

उत्तरः– विधि सम्मत प्रक्रिया से गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए बालिका की आयु 6 वर्ष होने तक योजना का लाभ दिया जा है। किंतु परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

प्रश्नः– बालिका के माता अथवा पिता की मृत्यु होने पर क्या परिवार नियोजन अनिवार्य होगा?

उत्तरः– जिस परिवार में अधिकतम दो संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो उस परिवार की बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक येाजना का लाभ दिया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के प्रकरणों जहां महिला अथवा पुरूष की दूसरी शादी होती है व पूर्व से ही 02 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र हितग्राही को लाभ प्रदाय किये जाने के लिये माता/पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रश्नः– परिवार नियोजन विलंब से कराने की स्थिति में क्या योजना का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तरः– यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार 01 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन नहीं अपना पाया है तो वे बालिका के जन्म के 02 वर्ष अंदर परिवार नियोजन अपनाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर अपील मान्य या अमान्य कर सकेंगें।

प्रश्नः– पूर्व से ही लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये क्या किया जाना होगा?

उत्तरः– पूर्व से ही पंजीकृत हितग्राहियों को अब तक प्राप्त एन एस सी कार्यालय में जमा करनी होगी जिसके स्थान पर उन्हें एक प्रमाणपत्र प्रदाय किया जायेगा। जिसके आधार पर उन्हें समय समय पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्नः– यदि हितग्राही की एन एस सी गुम हो गई है तो वह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकेगा?

उत्तरः– यदि एन एस सी गुम हो गई है तो हितग्राही को डुप्लीकेट एन एस सी जारी करवाकर जमा करनी होगी। तदृपरांत प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

प्रश्नः– क्या हितग्राही को पूर्व एन एस सी की भांति 5 प्रमाण पत्र प्राप्त होंगें?

उत्तरः– नहीं। मात्र एक प्रमाणपत्र ही प्राप्त होगा जिसमें हितग्राही को समय समय पर मिलने वाले समस्त हितलाभों की जानकारी अंकित होगी।

प्रश्नः– बालिका हितग्राही को योजना से मिलने वाली अंतरिम राशि किस प्रकार प्राप्त होगी?

उत्तरः– अंतरिम राशि के भुगतान हेतु बालिका हितग्राही को समय समय पर विभिन्न कक्षा में प्रवेश, आधारकार्ड क्रमांक, समग्र आई डी, बैंक का विवरण दिया जाना होगा। जिससे हितग्राही के बैंक खाते में राशि सीधे ई–पेमेंट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

प्रश्नः– क्या जिन प्रकरणों में आवेदन समय पर कार्यालय में जमा किया गया था किंतु कार्यालयीन त्रुटि से बालिका को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका क्या अब उस बालिका को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है?

उत्तरः– ऐसे प्रकरणों में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को की जा सकती है। कलेक्टर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर आवेदन मान्य या अमान्य कर सकेंगें।